कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.
पॉचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 21.01.2009

क्रमांक 16/17/आउशि/2009 :: छात्रवृत्ति वितरण योजना की समीक्षा के समय यह ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवंटन के विरूद्ध संबंधित विद्यार्थी के नाम से जारी किये गये चैक यथा समय विद्यार्थी द्वारा आहरित न करने के कारण राशि व्यपगत (लेप्स) हो जाती है। इस प्रक्रिया में समय के साथ–साथ अनावश्यक राशि का भी व्यय होता है।

अतः आदेश जारी होनें के दिनांक से लाभान्वित विद्यार्थी के नाम पर चैक बनाने के स्थान पर संबंधित विद्यार्थी द्वारा निकटतम भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए खातें में राशि जमा करावें, ताकि विद्यार्थी यथा समय आवश्यकतानुसार राशि अपने खाते से आहरित कर सके। विद्यार्थियों के अवगतार्थ बैंक में जमा की गई राशि महाविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जावे।

उपर्युक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से वर्तमान शिक्षा सत्र से प्रदाय की जाने वाली समस्त छात्रवृत्तियों पर लागू होगी।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

पृ क्र/1717/आउशि/2009 भोपाल, दिनांक 21.01.2009

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक/सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
2 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3 संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, म प्र।
4 संबंधित प्राचार्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन